पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर रैयाटुण्डा

अनुवान श्रवण कुमार आदि बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या –224../2025

निर्णय दिनांक ....30/6/25..........

1. श्रवण कुमार पुत्र बिड़दा राम जाति नाई निवासी रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. लिछुराम पुत्र बिड़दा राम जाति नाई निवासी रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार साहवा जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर रैयाटुण्डा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 191 खसरा नं. 1623/936 तादादी 1.9473 हैक्ट. खसरा नं. 1666/216 तादादी 2.0232 हैक्ट., खसरा नं. 1668/218 तादादी 0.9231 हैक्ट., खसरा नं. 1669/218 तादादी 0.1517 हैक्ट., खसरा नं. 215 तादादी 1.6944 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम रैयाटुण्डा में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीगण का नाम लिछुराम, श्रवण कुमार पुत्रगण बिड़दा दर्ज है जो कि गलत है सही नाम लिछुराम, श्रवण कुमार पुत्रगण बिड़दा राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायव तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण के पिता का नाम बिड़दा राम किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम रैयाटुण्डा तहसील तारानगर के खाता संख्या 191 खसरा नं. 1623/936 तादादी 1.9473 हैक्ट. खसरा नं. 1666/216 तादादी 2.0232 हैक्ट., खसरा नं. 1668/218 तादादी 0.9231 हैक्ट., खसरा नं. 1669/218 तादादी 0.1517 हैक्ट., खसरा नं. 215 तादादी 1.6944 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम बिड़दा Delete कर इसके स्थान पर बिड़दा राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....30/6/25........ को कैम्प कोर्ट रैयाटुण्डा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)